



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र०
सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक:- ए०के०टी०यू० / कुस०का० / सुरक्षा / 2025 / 6089

दिनांक 01 मार्च, 2025

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य

विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संस्थान।

विषय: कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग किये जाने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं०: 06/2025/364/तीस-3-2025 दिनांक 11 फरवरी 2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिये मा० श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (पूर्व न्यायाधीश मा० सर्वोच्च न्यायालय), अध्यक्ष सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्षता में दिनांक 05.02.2025 को लखनऊ में आहूत की गयी सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं।

1. उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दो पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो।
2. इसी प्रकार, जो अधिकारी/कर्मचारी चार पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें, एवं अन्य सभी सह-यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो।
3. सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी इस निर्देश का पूर्णतः पालन करें।
4. सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मी हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जाँच करें। बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के प्रवेश करने पर रोक लगायी जाए।
5. यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वाले पर आवश्यक कार्यवाही करें।
6. सभी कर्मचारी सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूक हो और हेलमेट व सीट बेल्ट को उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाये।
7. नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाए।
8. उपर्युक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को इस पहल को गम्भीरता से लेना चाहिए और समाज में एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना चाहिए।

अतः कृपया शासन के उक्त उल्लिखित पत्र दिनांक 11 फरवरी 2025 के माध्यम से प्रदत्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,


(प्रो० राजीव कुमार)

का० कुलसचिव

प्रतिलिपि: स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए०के०टी०यू०, लखनऊ को मा० कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रो० राजीव कुमार)

का० कुलसचिव

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / मंडलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

परियहन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी, 2025

विषय कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मा० श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (पूर्व न्यायाधीश, मा० सर्वोच्च न्यायालय), अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति मा० सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में दिनांक 05 फरवरी, 2025 को लखनऊ में सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में यह पाया गया कि दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों द्वारा हेलमेट न पहनना तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न करना है।

2. उक्त बैठक में मा० अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि :-

- (1) उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दोपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो।
- (2) इसी प्रकार, जो अधिकारी/कर्मचारी चारपहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो।
- (3) सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके

अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी इस निर्देश का पूर्णतः पालन करें।

- (4) सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जांच करें। बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के प्रवेश करने पर रोक लगाई जाए।
- (5) यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्यवाही करें।
- (6) सभी कर्मचारी सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूक हों और हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं।
- (7) नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाए।
- (8) उपर्युक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को इस पहल को गंभीरता से लेना चाहिए और समाज में एक सकारात्मक यातायात का सृजन करना चाहिए।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट परियहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को यथाशीघ्र प्रेषित किया जाए।

भयदीय,

Signed by

(मनोज कुमार सिंह)
Manoj Kumar Singh

मुख्य सचिव।
Date: 09-02-2025 14:40:52

संख्या- 06 /2025/364(1)/तीस-3-2025. तद्विनांक।

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, मा० सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

Signed by

Lakku Venkateshwarlu

(लक्ष्मण वेंकटेश्वर लू)
Date: 10-02-2025 14:01:12

प्रमुख सचिव ।